संख्या– 210 / 59–2–2013–22(खा) / 2011

प्रेषक,

हरिराज किशोर
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

खादी एवं ग्रामोद्योग अनुभाग–2

लखनऊ : दिनांक–25 अप्रैल, 2013

विषय–: गांधी जयन्ती के अवसर पर खादी वस्त्रों की फुटकर बिक्री पर छूट योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2013–14 में आयोजनागत मद में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के पत्र संख्या 02 / खा.ग्रा.बो. / खादी / 2013–14 दिनांक 03.04.2013 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल प्रदेश में कार्यरत खादी आयोग / बोर्ड में पंजीकृत संस्थाओं द्वारा खादी वस्त्रों की बिक्री पर दी गई छूट के दावों के भुगतान हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि रु0 3711.73 लाख (रुपये सैतीस करोड़ ग्यारह लाख तिहत्तर हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं।

2. उक्त प्रस्तर–1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण वर्ष 2012–13 तक खादी बिक्री पर छूट के दावों के भुगतान हेतु स्वीकृत समस्त धनराशि के उपयोगिता प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराने के उपरान्त किया जाएगा।

3. उक्त स्वीकृत धनराशि हेतु प्रतिमाह भुगतान किये जाने वाली धनराशि मासिक व्यय विवरण प्रपत्र बी0एम0–13 में वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग–6 को उपलब्ध कराया जाएगा।

4. उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि आवश्यकतानुसार ही आहरण की जाएगी और व्यय करते समय भुगतान करने वाले अधिकारी वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या बी–1–640 / 10–2013–231 / 2013, दिनांक 28 मार्च, 2013 में दी गई शर्तों का पूर्ण अनुपालन किया जाएगा।

5. उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद ,एवं शासन को वित्तीय वर्ष में ही उपलब्ध कराया जाएगा।

6. उक्त स्वीकृत धनराशि वर्तमान चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–05 के लेखा शीर्षक "2851–ग्राम तथा लघु उद्योग–आयोजनागत–105–खादी ग्रामोद्योग–04–गांधी जयन्ती के अवसर पर खादी की बिक्री पर छूट–27–सब्सिडी" के अंतर्गत व्यवस्थित धनराशि के नामे डाला जाएगा।

7. यह आदेश वित्त आय–व्ययक अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या बी–1–640/दस–2013–231/2013, दिनांक 28 मार्च, 2013 में की गई व्यवस्था के अनुसार निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(हरिराज किशोर)
प्रमुख सचिव

संख्या–210 /59–2–2013–22(खा)/2011

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ०प्र० इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० इलाहाबाद।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–6/वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1, नियोजन अनुभाग–4
5. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकी निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।
6. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ०प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ।
7. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, संगम पैलेस, उ०प्र० इलाहाबाद।
8. उप निदेशक एन०आई०सी० योजना भवन, लखनऊ।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरिराज किशोर)
प्रमुख सचिव